न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 05/2022
ऑनलाईन 2022/29

निर्णय दिनांकः 12.10.2022

शंकरलाल पुत्र पदमाराम जाति प्रजापत निवासी मोमासर बास श्रीडूंगरगढ़ द्वारा जरिये अपने मुख्यतार आम लालचन्द पुत्र पदमाराम जाति प्रजापत निवासी मोमासर बास श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2.धन्नाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट (पुनिया)निवासी माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3.सुनिल पुत्र सुमेरसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
4.अनिल पुत्र सुमेरसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
5.मनोहरी देवी पत्नी धन्नाराम जाति जाट निवासी माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़।
6.इन्द्रा देवी पत्नी श्रवणराम जाति जाट निवासी माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री ओमप्रकाश मोहरा अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पूनचन्द मारू अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 03
3. एकतरफा कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2, 4 ता 6
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 246 तादादी 7.59 हैक्टेयर रोही माणकरासर का खातेदार कृषक है। प्रार्थी अपने व्यापारिक कार्यो से बाहर रहता है। प्रार्थी ने अपने भाई लालचन्द को उक्त खेत बाबत् व अन्य कार्यो बाबत् मुख्यतार आम बना रखा है। प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 246 तादादी 7.59 हैक्टेयर वाके रोही माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का खातेदार कृषक है प्रार्थी के इस खेत के पडोसियानों की नियत खराब तथा प्रार्थी के इस खेत की खातेदारी भूमि को नाजायज रूप से अतिक्रमण करके हड़प करना चाहते हैं। प्रार्थी कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है प्रार्थी अपने इस खातेदारी खेत की चारों दिशाओं सीमाओं को सुरक्षित करके पत्थर गडी करवाना चाहता है। लेकिन अप्रार्थीगण व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं। तथा हर समय प्रार्थी को खेत की भूमि को हड़प करने का प्रयास करते रहते हैं। प्रार्थी के इस खेत की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी होने से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होना है बल्कि सही स्थिति होगी और खेत की सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी। प्रार्थी ने दिनांक 01.01.2022 को अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वो प्रार्थी के खेत की सीमाएं रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार कायम की जाकर पत्थरगडी सहमति से करवा दी जावें तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि [illegible] खेत की सीमाओं पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पत्थर गडी करवाई जावें [illegible] मौके [illegible] रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार खेत की सीमा तय की जाकर [illegible] पत्थर गडी का खर्चा प्रार्थी देने को तैयार है।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व [illegible] 6 के असालतन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.10.21 16:10:07 IST
Reason: SelfAttested

Divya

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 246 तादादी 7.59 रोही माणकरासर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थी की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 246 के सीमा चिन्ह जो नक्शे में मौजूद है उनके आधार पर अन्यथा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार श्रीडूंगगरढ को 1000/–रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिशनर प्रार्थीगण द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमीलपूर्ति नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.10.21 16:10:07 IST
Reason: SelfAttested